[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 85/2020 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. _____(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा,भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 92/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 सितंबर, 2017 में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात पैराग्राफ 1 में, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"बशर्ते कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी का उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गयी तत्संबंधी प्रविष्टि मे उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमाशुल्क स्टेशनों पर आयातित माल का उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप- धारा (1) के अंतर्गत घरेलू खपत के लिए या धारा 68 के अंतर्गत वेयरहाउसिंग के लिए दी गयी बिल ऑफ एंट्री के संबंध में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारियों के अधीनस्थ अधिकारियों के आदेश या निर्णय, जो कि उनको उक्त अधिनियम कि धारा 17 की उप-धारा (5) और धारा 18 के उद्देश्य से कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रोनिक तरीके से सौंपे गए हो, के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा।"

[फा. स. 437/48/2014- सीमाशुल्क IV]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 92/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 28 सितंबर, 2017 सा. का. नि. 1210 (अ), दिनांक 28 सितंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गयी और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 63/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जुलाई, 2020, सा. का. नि. 482 (अ), दिनांक दिनांक 30 जुलाई, 2020 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।